

गैर-कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति की नियम एवं शर्तें

Terms and Conditions of Appointment of Non-Executive Directors

1. एमएसटीसी लिमिटेड के अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है।

Part-Time Non-Official (Independent) Directors of MSTC Limited are appointed by the President of India through the Ministry of Steel, Government of India for a period of three years or until further order, whichever is earlier.

2. भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सरकारी नामित निदेशक को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

A Government Nominee Director representing the Government of India is appointed by the President of India through the Ministry of Steel, Government of India, until further orders.

3. गैर-कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार हैं:

The terms and conditions of appointment of the Non-Executive Directors are as follows:

- अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 20,000/- की दर से बैठने की फीस का भुगतान किया जाता है।

The Part-Time Non-Official (Independent) Directors are paid sitting fees at the rate of Rs. 20,000/- for attending each meeting of the Board of Directors and of the Sub-Committees of the Board of Directors.

- कंपनी द्वारा सरकार द्वारा नामित निदेशक को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।
No remuneration is being paid by the Company to the Government Nominee Director.

- बोर्ड एवं अन्य समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा/आवास व्यय की प्रतिपूर्ति।
Reimbursement of travelling / accommodation expenses for participation in the Board and other Committee Meetings.